संख्या– 1809/सम–73–2012

प्रेषक,

लालू,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग **लखनऊः दिनांक 01 अगस्त, 2012**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–716/वि0 एवं ले0/2012, दिनांक 16.07.2012 तथा वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09–07–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आयोजनागत मद में प्रावधानित धनराशि रूपये–120000 हजार (रूपये बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष चार माह (अप्रैल से जुलाई 2012 तक) रूपये–36666 हजार (रूपये तीन करोड़ छत्तीस लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या– 1063/सम–73–2012, दिनांक 22–05–2012 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त प्रावधानित धनराशि का अवशेष रू0 83334 हजार (रूपये आठ करोड़ तैंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष (अगस्त से नवम्बर 2012 तक) 50 प्रतिशत धनराशि रू0 41,667 हजार (रूपये चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) यह धनराशि भारत सरकार/विश्व बैंक के दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जायेगी। विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक, डास्प के स्तर से किया जाएगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जाएगी। जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उन्हीं मदों पर विश्व बैंक की गाईडलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अनुदान संख्या–11 आयोजनागत के लेखाशीर्षक– ''2401–फसल कृषि कर्म–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–97–यू0पी0 डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट –फेज–II, (विश्व बैंक पोषित)–42–अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– बी–1–1515 /दस– 2012–231 /2012, दिनांक 09–07–2012 में प्रतिनिधानित अधिकारों एवं प्रदत् दिशा–निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/

(लालू)
अनु सचिव।

संख्या– 1809(1)/सम–73–2012,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5. कृषि अनुभाग–3
6. श्री खान मोहम्मद आसिफ खान, प्रिन्सिपल सिस्टम एनालिस्ट, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
7. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लालू)
अनु सचिव